कार्यालय–निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/प्रारं/आरटीई/सी/यूनिट कॉस्ट/18882/13–14/वो–III/197 दिनांकः– 27-5-14

उप निदेशक
प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा
....

विषयः–आरटीई एक्ट 2009 के प्रावधानान्तर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में 25 प्रतिशत निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों की प्रतिबालक प्रतिपूर्ति पुनर्भरण राशि का किस्तवार भुगतान किये जाने पर नियमानुसार किस्तवार ऑडिट(अंकेक्षण) करवाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आरटीई एक्ट 2009 के प्रावधानान्तर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में आरटीइ एक्ट, 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रावधानान्तर्गत दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को गैर सरकारी विद्यालयों में विद्यालय की एन्ट्री लेवल कक्षा में कुल प्रवेशित बालकों के 25 प्रतिशत की सीमा तक बालकों को निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश का प्रावधान है। एक्ट की धारा 12(2) के तहत् ऐसे 25 प्रतिशत निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों के संबंध में गैर सरकारी विद्यालयों को प्रतिबालक प्रतिपूर्ति की पुनर्भरण राशि का भुगतान गैर सरकारी विद्यालयों के बैंक खातों में किये जाने का प्रावधान है। उक्त प्रावधानों की पालना में संबंधित बीईईओ/डीईओ प्राशि/माध्यमिक शिक्षा कार्यालयों द्वारा पुनर्भरण की राशि गैर सरकारी विद्यालयों के बैंक खातों में अन्तरित की जाती है। राज्य सरकार ने दिनांक 29.3.11 को अधिसूचना जारी कर दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह को परिभाषित किया है।

सत्र 2011–12 में राज्य में आर.टी.ई एक्ट 2009 के प्रावधानों के तहत गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा 25 प्रतिशत की सीमा तक निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों के प्रवेश संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा के द्वारा प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों का सत्यापन करवाने पर उक्त प्रवेशों को आरटीई एक्ट 2009 के प्रावधानों एवं निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए नहीं दिये जाने के कारण उक्त प्रवेशों को अमान्य करते हुए निदेशाालय से बजट राशि की मांग नहीं की गई जिससे सत्र 2011–12 में राज्य में उक्त प्रवेशों के संबंध में किसी भी गैर सरकारी विद्यालयों को पुनर्भरण नहीं किया गया।

सत्र 2012–13 में आरटीई एक्ट 2009 की धारा 12(1)(ग) के तहत 25 प्रतिशत दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश दिये जाने के पश्चात गैर सरकारी प्रा./उप्रावि विद्यालयों में प्रवेशित बालकों का भौतिक सत्यापन बीईईओ/डीईओ प्रारम्भिक शिक्षा एवं गैर सरकारी माध्यमिक/उ.मा. विद्यालयों में प्रवेशित बालकों का भौतिक सत्यापन डीईओ (माध्यमिक) द्वारा करवाया गया। सत्यापन के पश्चात् सत्यापित बालकों के संबंध में गैर सरकारी विद्यालयों को प्रतिबालक प्रतिपूर्ति हेतु पुनर्भरण राशि का भुगतान बीईईओ एवं डीईओ प्राशि कार्यालयों द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के प्रा/ उप्रावि/ मावि/उमावि विद्यालयों के बैंक खातों में किस्तवार (प्रथम किस्त एवं द्वितीय किस्त) पुनर्भरण राशि जमा करवाई।

सत्र 2013–14 में आरटीई एक्ट 2009 की धारा 12(1)(ग) के तहत 25 प्रतिशत दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालकों का भौतिक सत्यापन कार्य प्रावि/उप्रा विद्यालयों का बीईईओ/डीईओ प्राशि एवं मा/उमा विद्यालयों का डीईओ माध्यमिक शिक्षा के द्वारा किया गया एवं सत्यापित बालकों के संबंध में प्रति बालक प्रतिपूर्ति हेतु पुनर्भरण राशि का भुगतान प्रावि/उप्रावि गैर सरकारी विद्यालयों को बीईईओ/डीईओ (प्राशि) के कार्यालयों एवं माध्यमिक/उमा गैर सरकारी विद्यालयों को डीईओ (मा.शि.) द्वारा सत्र 2013–14 की प्रथम किस्त का भुगतान किया गया तथा द्वितीय किस्त का भुगतान भी इसी अनुरूप किया जायेगा।

सत्र 2013–14 में पुनर्भरण राशि की प्रथम किस्त का भुगतान करते समय संबंधित बीईईओ /डीईओ (प्रा.शि./मा.शि.) को निर्देश प्रदान किये गये थे कि अधिक/अनियमित भुगतान की स्थिति में अधिक/अनियमित भुगतान की गई राशि का समायोजन 2013–14 की प्रथम किस्त/आगामी वर्षो की पुनर्भरण राशि में से किया जावे। वर्तमान में सत्र 2012–13 में राज्य में लगभग 17 करोड़ रूपये तथा सत्र 2013–14 में 40 करोड़ रूपये का भुगतान गैर सरकारी विद्यालयों के बैंक खातों में किया जा चुका है तथा आने वाले वर्षो में उक्त भुगतान की राशि लगातार बढती जायेगी। इस प्रकार लगातार बढते वित्तीय खर्च

के मध्यनजर किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता/हानि को रोकने/वसूली/समायोजन राशियों को तत्काल प्रभावी रूप से संपादित करवाये जाने हेतु किस्तवार (प्रथम किस्त/द्वितीय किस्त) भुगतान के तत्काल पश्चात उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा द्वारा नियमानुसार विभागीय ऑडिट (अंकेक्षण) कार्य करवाया जाना है। इसके लिए मण्डल स्तर पर विभागीय ऑडिट (अंकेक्षण) कार्य करने हेतु निम्नानुसार अंकेक्षण दलों का गठन किया जाता है–

1. उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कार्यालय स्तर पर गठित अंकेक्षण दल–

1 उप निदेशक (प्राशि) कार्यालय में कार्यरत सहायक लेखाधिकारी/लेखाधिकारी
2 उप निदेशक (प्राशि) कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठ लेखाकार
3 उप निदेशक (प्राशि) कार्यालय में कार्यरत आरटीई प्रभारी अधिकारी/मण्डल में स्थित किसी भी जिला कार्यालय में कार्यरत एपीसी(आरटीई)
4 उप निदेशक(प्राशि) कार्यालय में लेखा अनुभाग में कार्यरत मंत्रालिक संवर्ग का कार्मिक

2. उप निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) कार्यालय स्तर पर गठित अंकेक्षण दल–

1 उप निदेशक (मा.शि.) कार्यालय में कार्यरत सहायक लेखाधिकारी/लेखाधिकारी
2 उप निदेशक (मा.शि.) कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठ लेखाकार
3 उप निदेशक (मा.शि.) कार्यालय में कार्यरत आरटीई प्रभारी अधिकारी/मण्डल में स्थित किसी भी जिला कार्यालय में कार्यरत एपीसी(आरटीई)
4 उप निदेशक(माशि) कार्यालय में लेखा अनुभाग में कार्यरत मंत्रालिक संवर्ग का कार्मिक

उपरोक्त विभागीय अंकेक्षण दल उनके मण्डल में नियंत्रणाधीन बीईईओ/डीईओ(प्राशि) के कार्यालयों का विभागीय ऑडिट (अंकेक्षण) उप निदेशक (प्राशि) कार्यालय में गठित अंकेक्षण दल द्वारा किया जाकर जांच प्रतिवेदन (आडिट रिपोर्ट) वित्तीय सलाहकार, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर को प्रस्तुत करेंगें। इसी प्रकार डीईओ (माध्यमिक) कार्यालयों का विभागीय ऑडिट (अंकेक्षण) उपनिदेशक (मा.शि.) कार्यालयों में गठित अंकेक्षण दल द्वारा किया जाकर जांच प्रतिवेदन (ऑडिट रिपोर्ट) मुख्य लेखाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर को प्रस्तुत करेंगें। विभागीय अंकेक्षण दल वर्ष 2012–13 की प्रथम किस्त के भुगतान से अंकेक्षण कार्य प्रारम्भ करेंगे।

जांच दल के लिए सामान्य निर्देश (निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम , 2009 के प्रावधान)

1. आरटीई एक्ट 2009 की धारा 12(1)(ग) के अनुसार " धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप खण्ड(iii) और उपखण्ड (iv) में विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय पहली कक्षा में दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के उस कक्षा के बालकों की कुल संख्या के कम से कम पच्चीस प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश देगा और निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की, उसके पूरा होने तक, व्यवस्था करेगा:

   परन्तु यह और कि जहां धारा 2 के खण्ड (ढ) में विनिर्दिष्ट कोई विद्यालय, विद्यालय पूर्व शिक्षा देता है वहां खण्ड(क) से खण्ड (ग) के उपबन्ध ऐसी विद्यालय पूर्व शिक्षा में प्रवेश को लागू होंगें।

2. एक्ट की धारा 12(2) के अनुसार–" उपधारा (1) के खण्ड (ग) में यथाविर्निष्ट निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाने वाले धारा 2 के खण्ड(ढ) के उपखण्ड (iv) में विनिर्दिष्ट विद्यालय की, उसके द्वारा उपगत व्यय की राज्य द्वारा उपगत प्रतिबालक व्यय की सीमा तक या बालक से प्रभारित वास्तविक रकम तक, इनमें से जो भी कम हो, ऐसी रीति में , जो विहीत की जाए, प्रतिपूर्ति की जायेगी:

   परन्तु यह कि ऐसी प्रतिपूर्ति धारा 2 के खण्ड (ढ) उपखण्ड (i) मं विनिर्दिष्ट किसी विद्यालय द्वारा उपगत प्रतिबालक व्यय से अधिक नहीं होगी:

   परन्तु यह और कि जहां ऐसी विद्यालय उसके द्वारा कोई भूमि, भवन, उपस्कर या अन्य सुविधाऐं या तो निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की बाध्यता के अधीन है, वहां ऐसा विद्यालय ऐसी बाध्यता की सीमा तक प्रतिपूर्ति के लिए हकदार नही होगा।

3. **राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 11 के प्रावधान**

   (1) धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (iii) और (iv) में निर्दिष्ट प्रत्येक विद्यालय धारा 12 की उप–धारा (2) के अधीन प्रतिपूर्ति के रूप में उसके द्वारा प्राप्त रकम के सम्बन्ध में एक पृथक् बैंक खाता रखेगा।

(2) प्रतिपूर्ति वर्ष में दो बार सीधे विद्यालय को की जायेगी। अप्रेल से अगस्त की कालावधि के लिए पहली प्रतिपूर्ति अक्टूबर मास में की जायेगी और सितम्बर से शैक्षणिक सत्र की समाप्ति तक की कालावधि के लिए अन्तिम प्रतिपूर्ति जून के अन्त में की जायेगी।

(3) कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों के सम्बन्ध में प्रति–बालक–व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा करने वाला, धारा 2 खण्ड (ढ) के उप–खण्ड (iii) और (iv) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विद्यालय, अपना दावा विद्यालय में प्रवेश दिये गये कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों की सूची सहित राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में सम्बन्धित ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। दावा प्रत्येक वर्ष अगस्त और अप्रेल मास मे प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी अन्तिम प्रतिपूर्ति करने से पूर्व बालकों का नामांकन सत्यापित कर सकेगा या सत्यापित करवा सकेगा।

4. अंकेक्षण दल अभिलेखों की जांच करते समय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2009 एवं राज्य सरकार की अधिसूचना प.21(9)शिक्षा–1/प्राशि/2009 जयपुर दिनांक 29.03.11(राज्य नियम) के प्रावधानान्तर्गत 25 प्रतिशत निःशुल्क शिक्षा हेतु बालकों के प्रवेश एवं प्रतिबालक प्रतिपूर्ति हेतु पुनर्भरण राशि का भुगतान संबंधित बीईईओ/डीईओ(प्राशि)/डीईओ (माशि) कार्यालयों द्वारा गैर सरकारी विद्यालयों के बैंक खातों में अन्तरित की गई किस्तवार(प्रथम किस्त/द्वितीय किस्त) राशि के संदर्भ में जांच/अंकेक्षण कार्य सम्पन्न करके जांच प्रतिवेदन तैयार करेंगें।

5. उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त अंकेक्षण दल नियमानुसार जांच/अंकेक्षण कार्य संपादित करेगा।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय जयपुर
2. आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् शिक्षा संकुल जयपुर
3. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अधीनस्थ उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा कार्यालय को नियमानुसार जांच/अंकेक्षण कार्य संपादित करने हेतु पाबन्द करते हुए मुख्य लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को आवश्यक निर्देश प्रदान करने का श्रम करावें।
4. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा।
5. मुख्य लेखाधिकारी, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर।
6. उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा............................को पालनार्थ।
7. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बीईईओ..................................
8. कार्यालय प्रति

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर